"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2018—आषाढ़ 22, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रवण कुमार यदु आत्मज श्री समारू राम यदु उम्र 44 वर्ष,जाति राउत, निवासी-ग्राम -केदारबाड़ी, वार्ड नं.-03 डोंगरगढ़, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. भूमिका का नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कु. भूमिका यदुवंशी आ. श्रवण कुमार यदु दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी पुत्री के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि में उसका पूर्ण व सही नाम कु. भूमिका यदु आ. श्रवण कुमार यदु दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को भूमिका यदु आ. श्रवण कुमार यदु के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. भूमिका यदुवंशी
पिता- श्री श्रवण कुमार यदु
निवासी-ग्राम -केदारबाड़ी,
वार्ड नं.-03 डोंगरगढ़,
तहसील-डोंगरगढ़,
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

कु. भूमिका यदु
पिता- श्री श्रवण कुमार यदु
निवासी-ग्राम -केदारबाड़ी,
वार्ड नं.-03 डोंगरगढ़,
तहसील-डोंगरगढ़,
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रमिला मिलिंद ध. प. श्री प्रशांत कुमार मिलिंद, उम्र, 37 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-9-ए. विद्युत नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. प्रमिला लेपांडे आत्मजा स्व. नरहरी लेपांडे था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती प्रांजलि मिलिंद रखा गया, किन्तु मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती प्रमिला मिलिंद रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती प्रमिला मिलिंद ध. प. श्री प्रशांत कुमार मिलिंद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. प्रमिला लेपांडे
श्रीमती प्रांजलि मिलिंद
पिता-स्व. नरहरी लेपांडे
निवासी-क्वा. नं.-9-ए.
विद्युत नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती प्रमिला मिलिंद
पति-श्री प्रशांत कुमार मिलिंद
निवासी-क्वा. नं.-9 ए.
विद्युत नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार साहू आत्मज श्री मंगलू राम साहू, उम्र 50 वर्ष, निवासी-58/बी, जी पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, सिविक सेंटर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरा सही व पूर्ण नाम अशोक कुमार साहू आ. मंगलू राम साहू है जो कि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व मेरी पेमेन्ट स्लीप में मेरा नाम अशोक कुमार आ. मंगलू राम दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व समस्त दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अशोक कुमार साहू आ. श्री मंगलू राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अशोक कुमार
पिता-श्री मंगलू राम
निवासी-58/बी, जी पॉकेट,
मरोदा सेक्टर, भिलाई,
सिविक सेंटर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अशोक कुमार साहू
पिता-श्री मंगलू राम साहू
निवासी-58/बी, जी पॉकेट,
मरोदा सेक्टर, भिलाई,
सिविक सेंटर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बालमुकुन्द साहू आत्मज श्री चुनूराम साहू, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-14/बी, आई-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैक पासबुक में मेरा सही व पूर्ण नाम बालमुकुन्द साहू आ.चुनूराम साहू दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व मेरे पेमेंट स्लीप में मेरा नाम बालमुकुन्द आ. चुनूराम दर्ज है जो अपूर्ण है. मैं अपने पूर्ण नाम "बालमुकुन्द साहू आ. श्री चुनूराम साहू" को मेरे सर्विस रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व पेमेंट स्लीप में जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे बालमुकुन्द साहू आ. श्री चुनूराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
बालमुकुन्द पिता-श्री चुनूराम निवासी-क्वा. नं.-14/बी, आई-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बालमुकुन्द साहू पिता-श्री चुनूराम साहू निवासी-क्वा. नं.-14/बी, आई-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नवीन जायसवाल आत्मज श्री अशोक कुमार जायसवाल, उम्र 20 वर्ष, निवासी-अम्बेडकर नगर, वार्ड क्र.-3, (पुरानी बस्ती) कटघोरा, तहसील कटघोरा जिला-कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम तिलेश कुमार जायसवाल आ. अशोक कुमार जायसवाल था तथा मैं इसी नाम से जाना जाता था. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम "नवीन जायसवाल" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे नवीन जायसवाल आ. श्री अशोक कुमार जायसवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
तिलेश कुमार जायसवाल पिता-श्री अशोक कुमार जायसवाल निवासी-अम्बेडकर नगर, वार्ड क्र.-3, (पुरानी बस्ती) कटघोरा, तहसील-कटघोरा जिला-कोरबा (छ. ग.)	नवीन जायसवाल पिता-श्री अशोक कुमार जायसवाल निवासी-अम्बेडकर नगर, वार्ड क्र.-3, (पुरानी बस्ती) कटघोरा, तहसील-कटघोरा जिला-कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वाहिद खान मेमन आत्मज स्व. उस्मान खान, उम्र 60 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. ई- 187, एचटीपीएस कालोनी, सीएसईबी, केटू विहार, पोस्ट-विद्युत नगर दर्री, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं सीएसईबी एचटीपीएस कोरबा (पश्चिम) में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, बैंक पास बुक, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा सही व पूर्ण नाम वाहिद खान मेमन (WAHID KHAN MEMAN) दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम वाहिद खॉ (VAHEED KHAN) दर्ज है, जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण हैं मैं अपने सर्विस रिकार्ड में मेरा सही व पूर्ण नाम वाहिद खान मेमन (WAHID KHAN MEMAN) दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे वाहिद खान मेमन (WAHID KHAN MEMAN) आ. स्व. उस्मान खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वाहिद खॉ (VAHEED KHAN) पिता-स्व. उस्मान खान निवासी-क्वा. नं. ई- 187, एचटीपीएस कालोनी, सीएसईबी, केटू विहार पोस्ट-विद्युत नगर दर्री, तहसील-कटघोरा जिला- कोरबा (छ. ग.)	वाहिद खान मेमन (WAHID KHAN MEMAN) पिता-स्व. उस्मान खान निवासी-क्वा. नं. ई- 187, एचटीपीएस कालोनी, सीएसईबी, केटू विहार पोस्ट-विद्युत नगर दर्री, तहसील-कटघोरा जिला- कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. पिंकी बाघ आत्मजा श्री पवन बाघ, उम्र 26 वर्ष, निवासी-म. नं.-277, शासकीय प्राथमिक शाला के पीछे, जय दुर्गा मोहल्ला, चरोदा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा पूर्ण व वास्तविक नाम कु. पिंकी बाघ, आत्मजा श्री पवन बाघ है जो कि मेरे कक्षा बारहवीं की अंकसूची, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा पांचवी, आठवीं व दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम कु. पिंकी आत्मजा "श्री पवन दर्ज है जो अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा सही व पूर्ण नाम "कु. पिंकी बाघ" आत्मजा "श्री पवन बाघ" दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कु. पिंकी बाघ आत्मजा श्री पवन बाघ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. पिंकी पिता-श्री पवन निवासी-म. नं.-277, शास. प्राथ. शाला के पीछे, जय दुर्गा मोहल्ला, चरोदा, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. पिंकी बाघ पिता-श्री पवन बाघ निवासी-म. नं.-277, शास. प्राथ. शाला के पीछे, जय दुर्गा मोहल्ला, चरोदा, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2018

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2018/1186.—वस्तुत: फल फूल साग सब्जी उत्पादन विपणन सहकारी समिति मर्या. सिवनी 3960 दिनांक 13-10-2000 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन (संशोधित) आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1117 दिनांक 09-06-2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. एल. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् फल फूल साग सब्जी उत्पादन विपणन सहकारी समिति मर्या. सिवनी पंजीयन क्रमांक 3960 दिनांक 13-10-2000 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2018

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2018/1187.— वस्तुत: दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लारीपारा, पं. क्र. 3722 दिनांक 18-04-1996 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन (संशोधित) आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1744 दिनांक 25-05-2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एस. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लारीपारा, पं. क्र. 3722 दिनांक 18-04-1996 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2018

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2018/1188.—वस्तुत: जोगीबाबा पत्थर खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. राजाडीह 154 दिनांक 06-10-2003 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन (संशोधित) आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1117 दिनांक 09-06-2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. एल. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् जोगीबाबा पत्थर खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. राजाडीह पं. क्र. 154 दिनांक 06-10-2003 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2018

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2018/1189.—वस्तुत: माहामाया पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. डांडिया 157 दिनांक 26-12-2003 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन (संशोधित) आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1117 दिनांक 09-06-2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. एल. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् माहामाया पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. डांडिया पं. क्र.157 दिनांक 26-12-2003 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.